



बलात्कार की समस्या और उसका समाधान

ज्यादातर रेप की घटनाएँ पूर्व नियोजित होती हैं। रेप की घटनाएँ अधिकतर रात में, शहरों की सुनसान गलियों में, बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या निर्माणाधीन भवनों में होती हैं। अतः ऐसी जगहों पर विशेष सावधानी रखें। रेपिस्ट घरों में डिलीवरीमैन या रिपेयरमैन के रूप में प्रवेश करते हैं। अतः इन व्यक्तियों को समझ एवं परख कर ही घर में आने दें।

बलात्कार, जिसे अंग्रेजी में 'रेप' कहते हैं, जबरदस्ती, बलपूर्वक या सेक्स पार्टनर की सहमति के बिना की गयी सेक्स क्रिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार बलपूर्वक यौन अंगों में लिंग या दूसरे शारीरिक अंग अथवा किसी वस्तु का प्रवेश कराना बलात्कार है। बलात्कार भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है और मानव अधिकार के विरुद्ध भी। भारतीय विद्वान श्री राधा कुमार के अनुसार यह महिलाओं के विरुद्ध सबसे ज्यादा घटित होने वाला आम अपराध है। यह एक राष्ट्रीय समस्या माना जाता है। बी.बी.सी. की फरवरी, 2013 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रत्येक साल 7,200 बच्चे बलात्कार के शिकार होते हैं। सन 1990 और 2008 के बीच भारत में बलात्कार की घटनाओं में दुगुनी वृद्धि दर्ज की गयी है। भारतीय शहरों में सबसे ज्यादा दिल्ली में बलात्कार की घटनाएँ दर्ज की गयी हैं। राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो के अनुसार भारत में सन 2011 में रेप के 24,206 मामले दर्ज किये गये। हालांकि विशेषज्ञ इस बात से सहमत हैं कि रेप की बिना दर्ज हुई घटनाओं की संख्या काफी है। एक आँकड़े के अनुसार बिहार में औसतन बलात्कार की दो घटनाएँ रोजाना दर्ज होती हैं।

रेप के मामलों में सबसे ज्यादा 16 से 24 वर्ष तक आयु वर्ग वाले पुरुष गिरफ्तार होते हैं। 60 % रेपिस्ट 25 वर्ष से कम आयु के होते हैं। एक व्यक्ति द्वारा रेप किये जाने के मामलों में रेपिस्ट और वीकटिम प्रायः पूर्व परिचित होते हैं। आँकड़ों के अनुसार 80 % रेपिस्ट पड़ोसी होते हैं, वहीं एक तिहाई मामले सामूहिक बलात्कार के होते हैं।

बलात्कार के कारण :

- वीकटिम के प्रति द्वेष-भाव, बदला लेने की भावना एवं गुस्से का विस्थापन : इस तरह की रेप की घटनाओं में रेपिस्ट वीकटिम के अंगों को चोट पहुँचाता है।
- रेपिस्ट का सेक्स अपर्याप्तता से पीड़ित होना : ऐसे रेपिस्ट आक्रामक एवं पीड़ादायक सेक्स क्रिया कर अधिक

उतेजना एवं आनंद महसूस करता है। यह रेपिस्ट आम तौर पर असामाजिक व्यवहार का खुला प्रदर्शन नहीं करता है और वह पीड़ित की भलाई का भी ख्याल रखता है।

- असामाजिक कार्यों से सम्बंध : ऐसे रेपिस्ट चोरी, डकैती आदि के साथ सम्बंध होता है। ऐसा रेपिस्ट किशोरावस्था से ही असामाजिक, अवसरवादी, आत्म प्रेमी एवं आवेगी व्यवहार का प्रदर्शन करता है।

व्यक्ति में आक्रमण करने का उच्च स्तर, सामाजिक नियमों के प्रति अनादर, सामाजिक कौशल की कमी, नशा सेवन के बाद खुद पर एवं सेक्स आवेग पर नियंत्रण का अभाव आदि भी रेप के कारण माने जाते हैं।

बलात्कार से उत्पन्न समस्याएँ :

बलात्कार के बाद पीड़ित व्यक्ति को कई तरह की मनो-सामाजिक, शारीरिक एवं कानूनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसी घटनाओं के पश्चात पीड़ित व्यक्ति अपसेट रहने लगता है। वह कई मनोवैज्ञानिक समस्याओं मसलन-दुःख, लज्जा, अपमान, सामाजिक अलगाव, खुद के गंदा व अपवित्र होने का भाव, चिंता, अवसाद, असहायता, भविष्य के प्रति निराशा, डरावने स्वप्न, सोने में कठिनाई, भूख-प्यास की कमी आदि से पीड़ित रहने लगता है। पीड़ित व्यक्ति लोगों पर अविश्वास करने लगता है। वह असंगत एवं स्वेच्छाचारी व्यवहार करने लगता है। वह घटना के सम्बंध में बातें नहीं करना चाहता है और रक्षात्मक मनोवृत्ति अपनाता है। यह कह कर कि ऐसा किसी के भी साथ हो सकता है, वह मदद लेने से इन्कार करता है। उसे कई तरह की शारीरिक बीमारियों जैसे-यौन रोग एवं गर्भधारण की सम्भावना होती है। कभी-कभी रेपिस्ट के द्वारा हिंसा की भी धमकी मिलती है। ऐसे में वह काफी तनाव में रहता है।

सुझाव एवं समाधान :

बलात्कार की घटना के तत्काल बाद पेशेवर की मदद लें, ताकि वीकटिम की विभिन्न शारीरिक एवं मानसिक समस्याओं जैसे-चिंता एवं अवसाद के स्तर, आत्महत्या की सम्भावनाओं तथा प्रेगनेन्सी एवं यौन समस्याओं की

पहचान की जा सके और उनका यथाशीघ्र समाधान किया जा सके। पीड़ित व्यक्ति अगर उस घटना पर बात न करना चाहता हो, तो उससे बार-बार न पूछें। अगर स्वयं ही कुछ बतलाना चाहता हो, तो उसे धैर्यपूर्वक सुनें। उससे बातें करते रहें। वीकटिम के प्रति सकारात्मक रुख रखें एवं उसके सामाजिक अलगाव को कम करने का प्रयास करें। मनोवैज्ञानिक एवं अन्तःवैयक्तिक समस्याओं से निपटने हेतु उसकी काउंसलिंग करवायें। सरकार एवं स्वयंसेवी संगठनों को 'हॉटलाइन' सेवाओं की व्यवस्था करनी चाहिये, जो पीड़ित व्यक्ति को उसकी समस्याओं से उबरने एवं समस्याओं का सामना करने की दिशा में बल प्रदान कर सकें।

रेपिस्ट व्यक्ति का व्यवहार सुधार, उसके असामान्य सेक्स ड्राइव एवं विचलित सेक्स व्यवहार का मनोवैज्ञानिक एवं औषधीय उपचार कराना ज़रूरी है। सामाजिक जागरूकता, प्रशासनिक सतर्कता एवं उचित कानून व्यवस्था से इस समस्या पर काबू पाया जा सकता है।

सावधानियाँ एवं सुझाव :

ज्यादातर रेप की घटनाएँ पूर्व नियोजित होती हैं। रेप की घटनाएँ अधिकतर रात में, शहरों की सुनसान गलियों में, बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या निर्माणाधीन भवनों में होती हैं। अतः ऐसी जगहों पर विशेष सावधानी रखें। रेपिस्ट घरों में डिलीवरीमैन या रिपेयरमैन के रूप में प्रवेश करते हैं। अतः इन व्यक्तियों को समझ एवं परख कर ही घर में आने दें। आँकड़े बताते हैं कि 80 % रेपिस्ट पड़ोसी होते हैं। अतः पड़ोसियों पर अति विश्वास न करें। परिस्थिति के अनुसार परिधान पहनें एवं संयमित व्यवहार रखें। खोयी इज्जत एवं बिताये दुःख व पीड़ा की भरपाई कोई नहीं कर सकता। अतः खुद ही सतर्क रहें, तो ज्यादा बेहतर है।

 **डॉ श्याम किशोर प्रसाद**

वैज्ञानिक सहायक (मनोवैज्ञानिक इकाई),
परिचालन विभाग, पश्चिम रेलवे, चर्चगेट



नामहीन पीड़ा

बड़े-बड़े महानगरों में स्त्री और पुरुष के बीच की असमानता खत्म हो रही है। स्त्री तरक्की की राह पर आगे भी बढ़ रही है। घर और बाहर दोनों मोर्चे सम्भाल रही है। वर्तमान युग की भारतीय नारी ने सिद्ध कर दिया है कि वह अबला नहीं सबला है। परन्तु इस सत्य से भी मुँह नहीं मोड़ा जा सकता है कि इस आधुनिक और स्वतंत्र युग में भी इस देश में कई जगहें ऐसी हैं, जहाँ नारी आज भी शापित जीवन जी रही है।

ख़ाली समय में अपने विचारों को लिपिबद्ध करना मुझे अच्छा लगता है। स्वयं नारी होने के नाते मैंने भारतीय नारी की विषम परिस्थितियों को अनेक दृष्टि बिन्दुओं से खोजने का प्रयास किया है। नारी के प्रति होने वाले अन्याय से मेरा मन कुंठा से भर जाता है। इसलिए मेरे लेख में उग्रता की झलक स्वाभाविक है। पुरुष प्रधान इस देश में स्त्री का जीवन आत्म समर्पण से शुरू होता है और यहीं पर समाप्त हो जाता है। नारी ईश्वर की बनाई एक सुन्दर रचना है, जिसमें दया है, ममता है और स्नेह है। कवि श्री सुमित्रानन्दन पन्त के लिए नारी देवी, माँ, सहचरी है, तो श्री जयशंकर प्रसाद के लिए श्रद्धा है। प्रोफेसर नलिन के शब्दों में नारी सृष्टि की प्रथम सौंदर्यमयी सर्वश्रेष्ठ कृति है।

आज के स्वतंत्र युग में नारी ने शिक्षा प्राप्त कर ली है और बड़े-बड़े महानगरों में स्त्री और पुरुष के बीच की असमानता खत्म हो रही है। स्त्री तरक्की की राह पर आगे भी बढ़ रही है। घर और बाहर दोनों मोर्चे सम्भाल रही है। वर्तमान युग की भारतीय नारी ने सिद्ध कर दिया है कि वह अबला नहीं सबला है। परन्तु इस सत्य से भी मुँह नहीं मोड़ा जा सकता है, कि इस आधुनिक और स्वतंत्र युग में भी इस देश में कई जगहें ऐसी हैं, जहाँ नारी आज भी शापित जीवन जी रही है। आज़ादी की किरणें उन तक नहीं पहुँची हैं। भले ही विश्व के अन्य प्रगतिशील देशों की तरह भारत में भी नारी शक्ति जागरण हो चुका है, किन्तु यह भी एक कड़वा सत्य है कि पुरुष प्रधान आज़ाद देश और समाज में नारी पर निर्मम अत्याचार हो रहे हैं।

मनु ने कहा था - 'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः' अर्थात् जहाँ नारियों की पूजा होती है, वहाँ देवता निवास करते हैं।

कालांतर में नारी का महत्त्व घटता गया। नारी को पुरुष की सम्पत्ति माना गया। उसके सब अधिकार छीन लिये गये। नारी जीवन की इस दयनीय स्थिति से व्यथित होकर राष्ट्र कवि श्री मैथिलीशरण गुप्त ने कहा था - 'अबला जीवन हाय ! तुम्हारी यही कहानी, आँचल में है दूध और आँखों में पानी।' नारी की महत्ता और गौरव गरिमा को, उसकी दया, करुणा तथा त्याग की भावना को इस प्रतिष्ठित समाज ने कभी समझने का प्रयास ही नहीं किया। भारतीय नारी का जीवन घर और समाज इन्हीं दोनों पाटों के बीच पिसता रहा है। उपेक्षिता नारी कष्ट सहती रही है और सहती ही रहेगी। तर्कशील और अहंकारी पुरुषों ने इन्हें पशुओं की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया है। नारी पर कुदरत की मार तो देखिये, इतने कष्ट सहकर भी नारी की बदनसीबी को संतोष नहीं हुआ।

यह स्त्री के भाग्य की विडम्बना नहीं तो और क्या है? जब भी वह किसी समस्या में फँसती है, तो पुरुष को ही पुकारती है। पुरुष उसकी बेबसी और लाचारी का फ़ायदा उठाता है। वह उसकी करुणा भरी आँखों में न झाँक कर उसके अंगों पर कुदृष्टि डालता है और अपनी कामुकता और स्वार्थजन्यता का परिचय देता है। लाचार विवश नारी उसकी कामुकता का शिकार हो जाती है, लेकिन पुरुष अपनी पाशविक प्रवृत्ति के लिए कभी शर्मिदा नहीं होता।

कई शताब्दियाँ आती और जाती रहीं, परन्तु स्त्री की स्थिति में कोई ख़ास बदलाव नहीं आया। पुरुष ने उसे मानसिक रूप से इतना कमज़ोर बना दिया कि आज भी ज़्यादातर स्त्रियों को एक-एक कदम पर पुरुष की सहायता लेकर चलना पड़ता है। इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि पुरुष ने स्त्री को या तो मनचाही वस्तु के रूप में पाया

या फिर भार के रूप में। नारी की अस्मिता और उसके अस्तित्व को हमेशा ही सूली पर टांग कर रखा गया।

किसी पत्रिका में पढ़ा था कि - 'पुरुष को यदि ऐसे वृक्ष की उपमा दी जाये, जो अपने चारों ओर के छोटे-छोटे पौधों का जीवन रस चूस-चूस कर आकाश की ओर बढ़ता जाता है, तो स्त्री को एक ऐसी लता कहना उचित होगा, जो पृथ्वी से बहुत थोड़ा सा स्थान लेकर अपनी सघनता में बहुत से अंकुरों को पनपाती हुई उस वृक्ष की विशालता को चारों ओर से ढक लेती है।' इस धारणा में भ्रान्ति का कतई समावेश नहीं है। श्री भारतेन्दु हरिश्चंद्र ने नारी के प्रति सहानुभूति प्रकट करते हुए कहा कि - 'जिस प्रकार अंग्रेज़ स्त्रियाँ सावधान होती हैं, पढ़ी-लिखी होती हैं, घर का कामकाज सम्भालती हैं, अपनी संतान को शिक्षा देती हैं, अपना स्वत्व पहचानती हैं, अपनी जाति और देश की सम्पत्ति और विपत्ति को समझती हैं, उसमें सहायता देती हैं और इतने समुन्नत मनुष्य जीवन को व्यर्थ, गृहस्थ और कलह में नहीं खोतीं, उसी भाँति हमारी गृह देवियाँ भी वर्तमान हीनावस्था का उल्लंघन करके कुछ उन्नति प्राप्त करें, यही लालसा है।' यद्यपि बड़े-बड़े शहरों में अधिकांश नारियाँ अपना जीवन अपनी शर्तों पर जीती हैं, लेकिन पिछड़े गाँवों में नारी आज भी सुप्त है और बदहाली का जीवन जीने के लिये मजबूर है। नारी का शोषण हर युग में होता आया है। उसने स्वयं अपना जीवन कभी नहीं जिया। उसे जीने ही नहीं दिया गया। अंत में मेरा मन बड़ी कठोरता से चीत्कार कर कह उठता है कि - 'मुक्त करो नारी को मानव, चिरवन्दनी नारी को। युग-युग की बर्बर कारा से जननी सखी प्यारी को...'

डॉ शारदा सारसर

वरिष्ठ लेखिका, बधवार पार्क रेलवे कॉलोनी, मुंबई